



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082025-265264
CG-DL-E-07082025-265264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3534]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947

No. 3534]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

का.आ. 3621(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और ऐल्युमिनियम के विनिर्माण तथा बाक्साइट के उत्खनन में लगे उद्योगों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की क्रमशः मद 30 और मद 31, के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योगों को, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 992(अ), तारीख 27 फरवरी, 2025 द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2025 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम बार लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ.992(अ), तारीख 27 फरवरी, 2025 में निर्दिष्ट अवधि को 27 अगस्त, 2025 से छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त उद्योगों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा.सं. एस-11017/03/2024- आई आर (पी एल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2025

S.O. 3621(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of industries engaged in Manufacturing of Alumina and Aluminium and Mining of Bauxite, which are covered under items 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 27th February, 2025, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 992(E), dated the 27th February, 2025;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub- clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, hereby extends the period specified in the notification number S.O.992(E), dated the 27th February, 2025 for a further period of six month with effect from the 27th August, 2025 during which the services engaged in the said industries to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F.No. S-11017/03/2024 -IR (PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.